संख्या-2/2019-2537/चौदह-4-2018-522/2014

टी0सी0

प्रेषक,

संजय सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4

लखनऊ, दिनांक,21 जनवरी, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजना" के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 33.49 लाख के सापेक्ष रू0 25.60 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-240/36-टी-27 (प्रो0एली0) दिनांक 25.09.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01-09-2018 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत 'प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजना' अन्तर्गत अनुपूरक मांगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 33.49 लाख के सापेक्ष रू0 25.60 लाख (रू0 पच्चीस लाख साठ हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110- वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0137-प्रोजेक्ट एलीफैन्ट (सी0सी0एल0)(के/60.रा/40.के+.रा)-	
29-अनुरक्षण-	5.30
42-अन्य व्यय-	**10.92**
योग राजस्व लेखा:-	16.22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्यजीव -	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0103-प्रोजेक्ट एलीफैन्ट (सी0सी0एल0 प्रणाली) (के/60.रा/40.के+.रा)-	
24-वृहत निर्माण कार्य-	8.74
25-लघु निर्माण कार्य	0.64
योग पूंजी लेखा-	9.38
कुल योग-	25.60

(रू0 पचीस लाख साठ हजार मात्र)

-2/-

-2-

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकताओं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं नियमानुसार बचत की धनराशि सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत ई-टेंडरिंग विषयक समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य नियमानुसार जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।

9- स्वीक़त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या-1-30/2017-पी0ई0 दिनांक 19.06.2018 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 04.07.2018 एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में ही किया जाय।

10-स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उपरोक्त पत्र दिनांक 25.09.2018 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

11-यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

12-स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 तथा समय-समय पर जारी समस्त सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13-विषयगत योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति, चित्र (photo) सहित विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु (Additional point) के रूप में भी विभागीय बेवसाइट पर इंगित किया जाय।

14- स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों/प्राविधानों के साथ समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-06/दस-19 दिनांक 10 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजय सिंह
सचिव।

संख्या-2/2019/2537(1)/चौदह-4-2018 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्वितीय, उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

डा0 दीपक कोहली
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in